राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

निगरानी आबकारी संख्या – 623/2015/अलवर.

श्री महेश कुमार मीणा पुत्र श्री फूलचन्द मीणा
निवासी मोठूका, तहसील बानसूर, जिला अलवर. .....प्रार्थी.

बनाम

1. श्री दलीप सिंह मीणा पुत्र श्री सरदार सिंह मीणा,
   निवासी मोठूका, तहसील बानसूर, जिला अलवर.
2. आबकारी अधिकारी, अलवर. .....अप्रार्थीगण.

खण्डपीठ
श्री मनोहर पुरी, सदस्य
श्री मोहन लाल नेहरा, सदस्य

उपस्थित : :

श्री डूंगरसिंह राठौड़, अभिभाषक .....प्रार्थी की ओर से.
श्री मुकेश भार्गव, अभिभाषक .....अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से.
श्री आर. के. अजमेरा,
उप–राजकीय अभिभाषक .....अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से.

निर्णय दिनांक : 30/10/2015

निर्णय

1. यह निगरानी प्रार्थी श्री महेश कुमार मीणा द्वारा आबकारी आयुक्त, राजस्थान, उदयपुर के प्रकरण संख्या 28(सी)18/आब/2015/3160 में पारित किये गये आदेश दिनांक 15.4.2015 के विरूद्ध राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 (जिसे आगे **'आबकारी अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 9(ए)(2) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी को वर्ष 2014–15 में देशी मदिरा समूह मोठूका का ग्राम पंचायत मोठूका हेतु समूह संख्या 65 का अनुज्ञा पत्र स्वीकृत हुआ था। जिस पर अप्रार्थी सं. 1 दलीप सिंह मीणा ने दिनांक 28.2.2014 को आबकारी आयुक्त को शिकायत पेश कर निवेदन किया कि वह लॉटरी में द्वितीय नम्बर पर है। लॉटरी विजेता प्रार्थी महेश चन्द पुत्र फूलचन्द मीणा ने फर्जीवाड़ा करते हुए ओमप्रकाश गुर्जर पुत्र श्री रामेश्वर निवासी देवसन, तहसील बानसूर के पंजाब नेशनल बैंक, बानसूर के खाता संख्या 6942000100029809 से डी.डी सं. 152/14 दिनांक 13.2.2014 रकम 72,512/–रूपये तथा आवेदन शुल्क 17000/– रूपये की डी.डी. भी इसी खाते से बनवा कर लगाई है। इस प्रकार आवेदनकर्त्ता ने भिन्न आदमी के खाते से बनवाई गई, डी.डी. पूर्णरूपेण गैर कानूनी श्रेणी में आने के कारण लॉटरी विजेता प्रार्थी महेश मीणा का आवेदन निरस्त किये जाने की मांग करते हुये स्वयं के नाम ठेका जारी करने की प्रार्थना की गई तथा दूसरी शिकायत अप्रार्थी दलीप सिंह ने दिनांक 12.5.2014 को आबकारी आयुक्त को इसी प्रकार की पेश

लगातार.....2

की जिस पर आबकारी आयुक्त ने जिला आबकारी अधिकारी, अलवर से जांच कराने के आदेश प्रदान किये। दिनांक 14.3.2014 को अप्रार्थी सं. 1 ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में सिविल रिट सं. 3283/2014 प्रार्थी, अप्रार्थी सं. 2 तथा आबकारी अधिकारी, अलवर के विरूद्ध पेश की, जिसका निर्णय दिनांक 15.12.2014 को हुआ। जिसमें उच्च न्यायालय के आदेश की पालना में आबकारी अधिकारी, अलवर ने अप्रार्थी सं. 1 दलीप सिंह द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। अप्रार्थी सं. 1 द्वारा पुनः सिविल रिट सं. 2573/2015 पेश की जिसका निस्तारण करते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 2.3.2015 द्वारा पुनः आबकारी आयुक्त के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का आदेश दिया। तत्पश्चात् अप्रार्थी सं. 1 द्वारा दिनांक 11.3.2015 को आबकारी आयुक्त के समक्ष एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया, जिसका निस्तारण करते हुए आबकारी आयुक्त ने दिनांक 16.4.2015 को अप्रार्थी सं. 1 के हक में अनुज्ञा पत्र जारी करने के आदेश जिला आबकारी अधिकारी, अलवर को दिये एवं जिला आबकारी अधिकारी के आदेश दिनांक 16.1.2015 को निरस्त किया। जिसके विरूद्ध यह निगरानी राजस्थान कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3. प्रार्थी की ओर से श्री डूंगरसिंह राठौड़, अप्रार्थी सं. 1 की ओर से श्री मुकेश भार्गव तथा राजस्व की ओर से श्री आर. के. अजमेरा उप—राजकीय अभिभाषक उपस्थित। उभय पक्षों की बहस सुनी गई एवं उपलब्ध रेकॉर्ड का अवलोकन किया गया।

4. विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने आबकारी आयुक्त के आदेश दिनांक 16.4.2015 को अनुचित बतलाते हुए, उसे निरस्त करने का निवेदन किया एवं तर्क दिया कि आबकारी आयुक्त ने श्री ओमप्रकाश गुर्जर के द्वारा किये गये इकरारनामे को आधार मानकर आदेश प्रदान किया गया है, जबकि स्वयं श्री ओमप्रकाश अथवा श्री महेन्द्र यादव से कोई जांच किये बिना आदेश प्रदान किया है, तथाकथित इकरारनामा दिनांक 11.03.2014 का है, जिस पर प्रार्थी के कोई हस्ताक्षर नहीं हैं तथा न ही उक्त इकरारनामा सत्यापित है फिर भी बिना प्रार्थी के हस्ताक्षर के आबकारी आयुक्त ने प्रार्थी द्वारा मदिरा दुकान सबलेट मानकर एकतरफा आदेश पारित किया है एवं प्रार्थी को किसी प्रकार की सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया। जिला आबकारी अधिकारी ने दिनांक 14.2.2015 को ही वर्ष 2015—2016 कि लिये अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण करने के आदेश प्रदान किये थे, जिसके आधार पर माह अप्रैल, 2015 में आवंटित दुकान चलाई थी। जिस तथ्य को नजर अंदाज करते हुए आबकारी आयुक्त ने अपना आदेश पारित किया है, जो निरस्तनीय है।

लगातार.....3

5. अपने तर्कों के समर्थन में विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि आबकारी अधिकारी की रिपोर्ट में प्रार्थी द्वारा अनुज्ञा पत्र सबलेट करने का कोई अंकन नहीं है तथा तथ्यात्मक रिपोर्ट में प्रार्थी का जबाव व शपथ पत्र मौजूद था, जिसे नजरअंदाज करते हुए, आबकारी आयुक्त ने अपना आदेश परित किया है। इकरारनामा दिनांक 11.3.2014 से यह स्पष्ट होता है कि इस इकरारनामा में ओमप्रकाश के हस्ताक्षर हैं तथा अनुज्ञाधारी के हस्ताक्षर नहीं है। जिससे इस इकरारनामे के द्वारा अनुज्ञाधारी कतई पाबन्द नहीं हो सकता। अनुज्ञाधारी स्वयं अपनी दुकान चलाकर अपना जीवनयापन कर रहा है, अप्रार्थी सं. 1 की लॉटरी नहीं निकलने के कारण स्वयं उक्त अनुज्ञापत्र में हिस्सा मांग रहा था, जिससे प्रार्थी द्वारा इंकार कर देने से अप्रार्थी श्री दलीप सिंह प्रार्थी से ईष्यावश यह मिथ्या कार्यवाहियां करते हुए प्रार्थी को नाजायज परेशान कर रहा है। अग्रिम कथन किया कि आबकारी आयुक्त द्वारा निगरानी अधीन आदेश पारित किये जाने से पूर्व प्रार्थी को सुनवाई हेतु कोई नोटिस तामील नहीं कराया गया। प्रार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बगैर आदेश पारित किया गया है। अतः नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों की पूर्णतः अवहेलना करते हुए आदेश पारित किया गया है। उक्त कथन के साथ विद्वान अभिभाषक ने प्रार्थी की निगरानी स्वीकार करते हुए आबकारी आयुक्त के आदेश दिनांक 15.4.2015 को निरस्त फरमाने का निवेदन किया।

6. अप्रार्थी सं. 1 की ओर से विद्वान अभिभाषक श्री मुकेश भार्गव ने उपस्थित होकर कथन किया कि आबकारी आयुक्त के आदेश दिनांक 15.4.2015 उचित है। आबकारी विभाग ने दिनांक 20.2.2014 को प्राप्त सभी आवेदनों का ड्रॉ लॉटरी द्वारा निकाला, जिसमें रिविजनकर्ता के पक्ष में लॉटरी निकली तथा अप्रार्थी दलीप सिंह मीणा प्रथम आरक्षित आवेदक रहे अर्थात् दुसरा नम्बर रहा। लॉटरी के ड्रा के आधार पर देशी मदिरा समुह सं. 65 दुकान का अनुज्ञापत्र रिविजनकर्ता को जारी कर दिया गया। उपरोक्त अनुज्ञापत्र को जरिये इकरारनामा दिनांक 11.03.2014 के द्वारा रिविजनकर्ता व ओमप्रकाश गुर्जर (अधाणा) ने एक अन्य व्यक्ति महेन्द्र यादव को 9 लाख रूपये में बेच दिया तथा महेन्द्र यादव को उपरोक्त अनुज्ञापत्र के हस्तान्तरण के आधार पर दुकान चलाने में किसी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े, इसके लिये एक पॉवर ऑफ अटॉर्नी भी लिख दी। इस प्रकार अनुज्ञापत्र का हस्तान्तरण बिना पूर्व आज्ञा (अनुज्ञापत्र जारी करने वाली ऑथोरिटी) के किया गया जिससे नियम 72–बी का स्पष्ट उल्लंघन हुआ है। इस बात का पता अप्रार्थी दलीप सिंह मीणा को लगने पर आबकारी आयुक्त को दिनांक 12.5.2014 को शिकायत की, उक्त

लगातार.....4

शिकायत पर आबकारी आयुक्त ने जिला आबकारी अधिकारी को 10 दिन में परीक्षण करने के निर्देश दिये, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं होने पर अप्रार्थी सं. 1 ने एक रिट याचिका नं. 3283/2014 माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष दिनांक 14.03.2014 को पेश कर प्रार्थना की कि रिविजनकर्ता महेश कुमार मीणा का अनुज्ञापत्र निरस्त कर उसे प्रथम आरक्षित आवेदन होने के आधार पर अनुज्ञापत्र जारी किया जावे, उपरोक्त याचिका में माननीय उच्च न्यायालय ने नोटिस जारी कर विपक्षीगण से जवाब मांगा व जवाब पेश होने के बाद सभी पक्षों को सुनने के बाद आदेश पारित किया कि याचिकाकर्ता अप्रार्थी सं. 1 एक प्रार्थना पत्र मय सबूत जिला आबकारी अधिकारी के समक्ष पेश करें जिसे जिला आबकारी अधिकारी 4 सप्ताह में तय करें। उक्त आदेश की पालना में अप्रार्थी सं. 1 ने जिला आबकारी अधिकारी, अलवर में समक्ष एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिसे आबकारी अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 16.1.2015 द्वारा निरस्त किया, जिसके विरूद्ध अप्रार्थी सं. 1 ने पुनः एक रिट पीटिशन नं. 2673/2015 माननीय उच्च न्यायालय में 16.2.2015 को प्रस्तुत की। जिसका निस्तारण करते हुए माननीय न्यायालय ने दिनांक 2.3.2015 को आदेश पारित कर जिला आबकारी अधिकारी के आदेश को अनुचित माना एवं आबकारी आयुक्त के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये, जिसकी पालना में अप्रार्थी सं. 1 ने अभ्यावेदन आबकारी आयुक्त के समक्ष दिनांक 12.3.2015 को पेश किया। बावजूद सूचना के प्रार्थी उपस्थित नहीं हुआ तथा आबकारी आयुक्त ने अप्रार्थी सं. 1 का अभ्यावेदन अपने आदेश दिनांक 15.4.2015 द्वारा स्वीकार किया। जिससे व्यथित होकर प्रार्थी ने माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष दिनांक 27.04.2015 को एक रिट पीटिशन नं. 5948/2015 पेश कर आबकारी आयुक्त के आदेश को चुनौती दी एवं साथ ही कर बोर्ड के समक्ष भी रिवीजन पेश की है तथा उन्होंने आबकारी आयुक्त के आदेश का उचित बताते हुए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत इस निगरानी को खारीज करने का निवेदन किया।

7. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकॉर्ड का अवलोकन किया गया।

8. प्रकरण में विवाद की जड़ दलिप सिंह मीणा द्वारा दिनांक 28.02.2014 को की गई शिकायत है, जिसमें उसने लॉटरी विजेता महेश मीणा द्वारा उसको आवंटित दुकान को श्री महेन्द्र यादव पुत्र श्री रामदेव यादव निवासी चांदाली रामपुरा तहसील बानसूर जिला अलवर को कथित रूप से बेचान कर दिये जाने तथा शराब के ठेके में फॉर्म भरने के लिये श्री ओमप्रकाश के पी.एन.बी. बैंक बानसूर के खाता संख्या 6942000100029809 से डी.डी. नं0 327085 रूपये

लगातार.....5

17,000/— एवं डी.डी. नं0 327087 रूपये 72,512/— का बनवाने का आरोप तथा लॉटरी निकलने के पश्चात 50 प्रतिशत हिस्सा श्री महेन्द्र यादव का रहेगा, का इकरार होने का तथ्य प्रमुख रूप से है। शिकायत के कथित तथ्यों के आधार पर अनुज्ञाधारी के अपने शराब के ठेके को सब—लेट कर दिये जाने के कारण लाईसेंस की शर्तों का उल्लंघन होता है, जो उस लाईसेंस को निरस्तनीय बनाता है। आबकारी आयुक्त की पत्रावली अथवा कर बोर्ड के समक्ष उपलब्ध रेकॉर्ड में विवादित डी.डी., जिनके द्वारा प्रार्थी द्वारा विभाग में राशि जमा करवाई गई है, उपलब्ध नहीं हैं। ऐसी स्थिति में इस बिन्दु पर यह निष्कर्षित नहीं किया जा सकता कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये डी.डी. किसके खाते से राशि आहरित कर बनवाये गये हैं। पत्रावली में ऐसा कोई साक्ष्य/प्रावधान नहीं है एवं ना ही विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा दौराने बहस ऐसा कोई साक्ष्य/प्रावधान उपलब्ध करवाया गया है जिससे यह स्पष्ट होता हो कि आबकारी विभाग में आवेदन—पत्र के साथ जमा करवाई जाने वाली राशि स्वयं आवेदक के खाते से आहरित किया जाना बाध्यकारी हो। बैंकों द्वारा जारी किये जाने वाले डी.डी. में सामान्यतया केवल प्राप्तकर्ता का नाम अंकित किया जाता है, किस व्यक्ति के खाते से राशि का आहरण हुआ है, इस बाबत कोई अंकन नहीं होता है। ऐसी स्थिति में इस तथ्य को उद्धरित करते हुए अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी के विरूद्ध षड़यंत्रपूर्वक ठेका प्राप्ति की शिकायत किया जाना केवल द्वेषमात्र प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में प्रकरण आबकारी आयुक्त को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि विधिक प्रावधानों के परीक्षण उपरान्त एवं विधिक प्रावधानों के आलोक में, यदि यह बाध्यकारी हो कि आवेदक को आवेदन—पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले डी.डी. आवेदक के खाते से आहरित राशि का बनवाया जाना बाध्यकारी हो, तो इस सम्बन्ध में प्रार्थी को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करने के उपरान्त आवश्यक जांच उपरान्त विधिसम्मत आदेश पारित करें।

9. आबकारी आयुक्त के आदेश व पत्रावली के अवलोकन से यह भी प्रकट होता है कि प्रार्थी महेश मीणा को उसका पक्ष रखे जाने हेतु दिनांक 06.04.2015 को भिजवाया गया नोटिस प्रार्थी महेश मीणा को तामील होने का सबूत अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है। चस्पांदगी के द्वारा तामील होने व प्रार्थी से किसी भिन्न व्यक्ति को तामील कराने के तथ्य के आधार पर आदेश पारित किया गया है। नैसर्गिक न्याय का मूलभूत सिद्धान्त है कि जिस व्यक्ति के विरूद्ध आदेश पारित किया जा रहा है, उस व्यक्ति को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाना चाहिये। सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना एक आज्ञापक

लगातार.....6

आवश्यकता है। निर्णय से प्रभावित होने वाले व्यक्ति को सुनवाई का पूर्ण अधिकार है। सुनवाई में अनेक घटक निहित हैं, यथा पर्याप्त नोटिस, अपने पक्ष को प्रस्तुत करने का समुचित अवसर उपलब्ध होना तथा विधिक प्रतिनिधित्व।

10. नैसर्गिक न्याय के सुनवाई के अधिकार का उद्देश्य न्याय को सुरक्षित करना है। नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त की पालना नहीं होना, पीड़ित के लिये एक पूर्वाग्रह है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त **ए.आई.आर. 1971 राजस्थान 46 मांगीलाल बनाम जिला आबकारी अधिकारी, अजमेर** में निम्न व्यवस्था दी गयी है :–

(B) Rajasthan Excise Act (2 of 1950), Section 34 and Rule 76 - Power to suspend licence is only for inflicting punishment and not for facilitating departmental enquiry for cancellation of the licence - Suspension of licence and suspension of Government servant stand on different footing - On being exonerated Government servant is reimbursed the losses not so with a licensee - Suspension of licence is thus a punishment.

(C) Rajasthan Excise Act (2 of 1950), Section 34 - Suspension of licence in violation of rules of natural justice is invalid. ILR (1959) 9 Raj 1009 & AIR 1970 SC 150, Followed.

11. इसी प्रकार आबकारी अधिनियम की धारा 34 व नियम 76 निम्न प्रकार है :–

Sec. 34. Power to cancel and suspend licences-

(1) Subject to such restrictions as the State Government may prescribe, the authority granting any licence, permit or pass under this Act may cancel or suspend it -

(a) if it is transferred or subject by the holder thereof without the permission of the said authority; or

(b) if any duty or fee payable by the holder thereof be not duly paid; or

(c) in the event of any breach by the holder of such licence, permit or pass or by his servant or by anyone acting on his behalf with his express or implied permission, of any of the terms or conditions of such licence, permit or pass; or

(d) if the holder thereof is convicted of any offence punishable under this Act or any other law for the time being in force relating to revenue or of any cognizable and non-bailable offence or any offence punishable under the [Dangerous Drugs Act, 1930 [Central Act 11 of 1930] or any law relating to merchandise marks or of any offence punishable under sections 482 to 489 (both inclusive) of the Indian Penal Code, (X X X) or

लगातार.....7

(e) where a licence, permit or pass has been granted on the application of the grantee of an exclusive privilege under this Act, on the requisition in writing of such grantee; or

(f) if the conditions of the licence, permit or pass provide for such cancellation or suspension at will.

(2) When a licence, permit, or pass held by any person is cancelled under sub-section (1), the authority aforesaid may cancel any other licence, permit or pass granted to such person under this Act or any other law for the time being in force relating to excise, revenue or under [The Opium Act, 1878 (Central Act 1 of 1878)]

(3) The holder of a licence, permit or pass shall not be entitled to any compensation for the cancellation or suspension thereof under this section nor to a refund of any fee paid or deposit made in respect thereof.

Rule 76.Cancellation, modification and suspension of licences -

The authority granting a licence under these rules may cancel, suspend or modify the licence -

(a) to rectify clerical mistakes;

(b) if the licence has been obtained by fraud; or

(c) if the licensee has been guilty of the violation of a condition of his licence or the contravention of the provision of the Act or any notification order or rule issued under the Act.

12. धारा 34 के क्लॉज 3 अनुसार अनुज्ञाधारी को उसका अनुज्ञापत्र निरस्त होने पर कोई मुआवजा नहीं दिया जा सकता, न ही लाईसेंस के सम्बन्ध में जमा कराई गई राशि को लौटाया जा सकता है। ऐसी स्थिति में अनुज्ञाधारी को सुने बगैर लाईसेंस निरस्त किया जाना एक अपूरणीय क्षति है। किसी भी अनुज्ञाधारी द्वारा अनुज्ञा की शर्तों का उल्लंघन किया गया है, इस आशय को निष्कर्षित करना अनुज्ञापत्र निरस्त करने वाले प्राधिकारी का कर्तव्य है, जिसका इस प्रकरण में सर्वथा अभाव पाया जाता है।

13. प्रकरण में शिकायत के उपरोक्त उल्लेखित दोनों बिन्दु, जिनसे यह निष्कर्ष (inference) निकाला जा सकता है कि अनुज्ञापत्रों की शर्तों का उल्लंघन किया गया है, के तथ्यों का सत्यापन करना, परीक्षण करना व जांच पश्चात यह निष्कर्षित करना कि अनुज्ञापत्र की शर्तों का उल्लंघन किया गया है, अनुज्ञापत्र निरस्त करने वाले प्राधिकारी का विधिक भार है। यह न्याय की सारवान आवश्यकता है।

लगातार.....8

14. शिकायत के तथ्यों का परीक्षण व जांच पश्चात यह निष्कर्षित नहीं किया गया है कि ये दोनों शिकायतें सत्य पायी गयी हैं तथा शिकायतें सत्य पाये जाने के कारण अनुज्ञापत्र निरस्तनीय है।

15. उपरोक्त विवेचन को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण आबकारी आयुक्त को प्रतिप्रेषित करते हुए निर्देशित किया जाता है कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों की पालना में श्री महेश मीणा को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए शिकायतों पर अपने निष्कर्ष (finding) का अंकन करते हुए अनुज्ञापत्र की शर्तों का उल्लंघन किये जाने अथवा नहीं किये जाने के सम्बन्ध में विहित नियमों की पालना करते हुए विधिसम्मत आदेश पारित किया जावे। प्रार्थी को निर्देशित किया जाता है कि वह दिनांक 30/11/2015 को मय वांछित दस्तावेज आबकारी आयुक्त के समक्ष उपस्थित होंवे।

16. परिणामस्वरूप प्रार्थी की निगरानी स्वीकार की जाकर प्रकरण आबकारी आयुक्त को प्रतिप्रेषित किया जाता है।

17. निर्णय सुनाया गया।

30/10/15

(मोहन लाल नेहरा)
सदस्य

30.10.2015

(मनोहर पुरी)
सदस्य